न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 112/2025(GCMS 2025/440)
(RTI No. 212927252013759)

श्री मोती चौधरी पुत्र श्री हरीश चन्द्र आर/ओ.बी.–14, छाबड़ा कॉलोनी, एस.बी.आई. ट्रेनिंग सेन्टर के सामने, जयपुर रोड़, बीकानेर पिन – 334001 (मोबाईल नम्बर 63783–16754)

बनाम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मोती चौधरी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की एवं लोक सूचना अधिकार पर शास्ति लगाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री मोती चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः

1. Please Provide the certified copy of the letter of your office to S.D.O. Srikaranpur letter No. 645 dated 04.12.1993, As inform by you vide letter No. Dis.Rec/2024/158 dated 10.10.2024 copy enclosed for your ready reference.
2. Also provide me the receipt of records given by the office of S.D.O.Srikaranpur regarding letter No. 645 dated 04.12.1993
3. Please provide me the complete list of permission given to tenant to sell their agriculture land in the year 1987 U/s 13(1) of the Colonization Act, Foy your ready reference, I am enclosing a sheet of 1990 document so that you could comprehend my request Information should by given form (001) to the last release permission in 1987 as per the records provided to you by Revenue Branch of Collector Ganganagar

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 731 दिनांक 29.09.2025 से प्रार्थी का मूल पत्र [illegible] अधिकारी, श्रीकरणपुर को हस्तान्तरित कर दिया था, इसलिए प्रार्थी [illegible] अपने पत्रांक 866 दिनांक 27.11.2025 से उपखण्ड अधिकारी, [illegible] स्थानान्तरित कर दी थी, जिसकी प्रति अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अ[illegible] पत्रांक 867 दिनांक 27.11.2025 से इस कार्यालय को प्रेषित की हैं। इसलिए इस कार्यालय द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 112/2025
(GCMS No. 2025/440)
(RTI No. :212927252013759)
मौती चौधरी बनाम अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

पत्रांक सीजी/वाचक/26/130 दिनांक 19.01.2026 से उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से उक्त अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय का सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया था, जिसके सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से आदिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे यह पता नहीं चलता की लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब है अथवा नहीं?, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया हो, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा प्रार्थना पत्र का प्रार्थी को कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **उपखण्ड अधिकारी, करणपुर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर, को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तकमील शामिल दफ्तर होवे।

यह आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:13 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर